

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठारोच अधिकारी:- श्री कार्तिकेय भीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 112/2022

दायर दिनांक 01.04.2022

वादी	प्रतिवादीगण
1. जेठाराम पुत्र बुधाराम उम्र 72 वर्ष जाति रेगर निवासी आदर्श नगर डीडवाना, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. भंवरलाल पुत्र पूर्णाराम उम्र 62 वर्ष 2. रामचन्द्र पुत्र पूर्णाराम उम्र 58 वर्ष 3. लालाराम पुत्र पूर्णाराम उम्र 36 वर्ष 4. नेनी पुत्री पूर्णाराम उम्र 50 वर्ष 5. गीता पुत्री पूर्णाराम उम्र 40 वर्ष 6. संतोष पुत्री पूर्णाराम उम्र 38 वर्ष 7. सुखी पुत्री पूर्णाराम उम्र 32 वर्ष 8. रामेश्वरी पत्नि औंकार उम्र 74 वर्ष 9. हेमाराम पुत्र औंकार उम्र 54 वर्ष 10. जितेन्द्र पुत्र औंकार उम्र 51 वर्ष 11. रूपेश पुत्र औंकार उम्र 46 वर्ष 12. संजय पुत्र औंकार उम्र 35 वर्ष 13. माया पुत्री औंकार उम्र 42 वर्ष 14. विध्या पुत्री औंकार उम्र 39 वर्ष 15. सरिता पुत्री औंकार उम्र 37 वर्ष 16. पांयुड़ी देवी पत्नि स्व0हरिशंकर उम्र 55 वर्ष 17. रामरतन पुत्र स्व0 हरिशंकर उम्र 30 वर्ष 18. मोनीका पुत्री स्व0 हरिशंकर उम्र 28 वर्ष 19. नरेश पुत्र स्व0 हरिशंकर उम्र 26 वर्ष 20. सुशिला पुत्री स्व0 हरिशंकर उम्र 24 वर्ष 21. संतोष पत्नि देवकुमार उम्र 48 वर्ष 22. मुनमुन पुत्री देवकुमार उम्र 24 वर्ष 23. पूजा पुत्री देवकुमार उम्र 22 वर्ष 24. विशाल पुत्र देवकुमार उम्र 21 वर्ष 25. सुमित पुत्र देवकुमार उम्र 15 वर्ष (नाबालिक जरिये संरक्षक कुदरती वलिया प्रतिवादीनी सं0 21 संतोष पत्नि देवकुमार के) समस्त जाति रेगर निवासीगण आदर्श नगर डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 26. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपरिथत:-

1. श्री सुरेन्द्रपुरी वकील वादी।
2. श्री महेशपुरी वकील प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक 17.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाकै सरहद चान्दबासनी पटवार हल्का कलवानी, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं0 102 रकबा 3.3200 हैक्टे, खसरा सं0 208 रकबा 0.5300 हैक्टे, खसरा सं0 79 रकबा 2.4900 हैक्टे कुल खसरे 3 रकबा 6.3400 हैक्टे (पुराने खेत खसरा सं0 51 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 66 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 78 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा) स्व0 बुधाराम पुत्र मगनाराम जाति रेगर की खातेदारी का है।



सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

यह है कि वाकै सरहद चान्दबासनी में स्थित खेत खसरा सं० 102 रकबा 3.3200 हैक्टे०, खसरा सं० 208 रकबा 0.5300 हैक्टे०, खसरा सं० 79 रकबा 2.4900 हैक्टे० कुल रकबा 6.3400 हैक्टे० (पुराने खेत खसरा सं० 51 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं० 66 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं० 78 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा) जो कि पैतृक खैताय है। जिसमें वादी का 1/3 हक हिस्सा अधिकार व कब्जा, प्रतिवादी सं० 1 ता 07 तक का 1/3 हिस्सा अधिका व कब्जा तथा प्रतिवादी सं० 8 ता 25 तक का 1/3 हक हिस्सा अधिकार व कब्जा मौजूद है।

प्रार्थना वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न है :-


यह है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वाकै सरहद चान्दबासनी पटवार हल्का कलवानी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं० 102 रकबा 3.3200 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 208 रकबा 0.5300 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 79 रकबा 2.4900 कुल खसरे 3 रकबा 6.3400 हैक्टे० (पुराने खेत खसरा सं० 51 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खेत खसरा सं० 66 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं० 78 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा) भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 25 तक को बतौर खातेदार घोषित किया जाकर, वादी 1/3, प्रतिवादी सं० 1 ता 7 तक का 1/3, तथा प्रतिवादी सं० 8 ता 25 तक का 1/3 हक हिस्सा अधिकार अलग-अलग घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउंडस विधिवत बंटवारा सादर फरमाकर तदनुसार रेकर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी व प्रतिवादी सं० 02, 04 ता 25 का राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं० 01, 03, 26 को जरिये समन तलब किया। बावजूद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।


पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादर किया जाता है।

—:आदेश :-

अतः हस्य दावा डिक्री सादर कर, सरहद चान्दबासनी खेत खसरा सं० 102, 208, 79 (पुराने खेत खसरा सं० 51, 66, 78) भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 25 तक को बतौर खातेदार घोषित किया जाकर, वादी 1/3, प्रतिवादी सं० 1 ता 7 तक का 1/3, तथा प्रतिवादी सं० 8 ता 25 तक का 1/3 हक हिस्सा में अलग-अलग खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।


(कार्तिक मीणा)
डीडीएम.स. (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कार्तिक मीणा)
डीडीएम.स. (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री व मुकदमों इत्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाव्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 112/2022

दायर दिनांक 01.04.2022

वादीगण

1. जेठाराम पुत्र बुधाराम उम्र 72 वर्ष जाति रेगर निवासी आदर्श नगर डीडवाना, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र पूर्णाराम उम्र 62 वर्ष
2. रामचन्द्र पुत्र पूर्णाराम उम्र 58 वर्ष
3. लालाराम पुत्र पूर्णाराम उम्र 36 वर्ष
4. नेनी पुत्री पूर्णाराम उम्र 50 वर्ष
5. गीता पुत्री पूर्णाराम उम्र 40 वर्ष
6. संतोष पुत्री पूर्णाराम उम्र 38 वर्ष
7. सुखी पुत्री पूर्णाराम उम्र 32 वर्ष
8. रामेश्वरी पत्नि औंकार उम्र 74 वर्ष
9. हेमाराम पुत्र औंकार उम्र 54 वर्ष
10. जितेन्द्र पुत्र औंकार उम्र 51 वर्ष
11. रूपेश पुत्र औंकार उम्र 46 वर्ष
12. संजय पुत्र औंकार उम्र 35 वर्ष
13. माया पुत्री औंकार उम्र 42 वर्ष
14. विध्या पुत्री औंकार उम्र 39 वर्ष
15. सरिता पुत्री औंकार उम्र 37 वर्ष
16. पांयुड़ी देवी पत्नि स्व0 हरिशंकर उम्र 55 वर्ष
17. रामरतन पुत्र स्व0 हरिशंकर उम्र 30 वर्ष
18. मोनीका पुत्री स्व0 हरिशंकर उम्र 28 वर्ष
19. नरेश पुत्र स्व0 हरिशंकर उम्र 26 वर्ष
20. सुशिला पुत्री स्व0 हरिशंकर उम्र 24 वर्ष
21. संतोष पत्नि देवकुमार उम्र 48 वर्ष
22. मुनमुन पुत्री देवकुमार उम्र 24 वर्ष
23. पूजा पुत्री देवकुमार उम्र 22 वर्ष
24. विशाल पुत्र देवकुमार उम्र 21 वर्ष
25. सुमित पुत्र देवकुमार उम्र 15 वर्ष
(नाबालिक जरिये संरक्षक कुदरती वलिया प्रतिवादीनी सं0 21 संतोष पत्नि देवकुमार के) समस्त जाति रेगर निवासीगण आदर्श नगर डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
26. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत


घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 17.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री सुरेन्द्रपुरी वकील वादी व श्री महेशपुरी वकील प्रतिवादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद चान्दबासनी खेत खसरा सं0 102, 208, 79 (पुराने खेत खसरा सं0 51, 66, 78) भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 25 तक को बतौर खातेदार घोषित किया जाकर, वादी 1/3, प्रतिवादी सं0 1 ता 7 तक का 1/3, तथा प्रतिवादी सं0 8 ता 25 तक का 1/3 हक हिस्सा में अलग-अलग खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।


नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमों के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 17.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलेक्टर
डोडडीडवा (सागौर)